

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1 से 5**

संचालनालय वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली हेतु वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा-भत्ता तथा कार्यालय-व्यय मद हेतु ₹ 7.85 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2054**

**मद क्रमांक 6**

ई कोष परियोजना अंतर्गत 15 नग कम्प्यूटर क्रय हेतु ₹9.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2435**

**मद क्रमांक 7**

छत्तीसगढ़ राज्य स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कृषकों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी हेतु ₹ 122347.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,23,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।